झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान-सभा
अष्टम् (बजट) सत्र
वर्ग-04

19,फाल्गुन,1943 (श0)

निम्नलिखित अल्प-सूचित प्रश्न, गुरूवार, दिनांक :- ..... को
10 मार्च, 2022 (ई0)

झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे :-

क्र0 सं0	विभागों को भेजी गई सां0संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
102.	अ0सू0-25	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली बनाना।	अ0ज0,अ0ज0जा0 अल्प0एवं पि0वर्ग कल्याण	28.02.22
103.	अ0सू0-34	श्री प्रदीप यादव	नियुक्त करना।	जल संसाधन	03.03.22
104.	अ0सू0-11	श्री भानु प्रताप शाही	बिजली उपलब्ध कराना।	ऊर्जा	24.02.22
105.	अ0सू0-18	श्री मनीष जायसवाल	लक्ष्य पूर्ण करना।	कृषि, पशु0 एवं सहकारिता	24.02.22
106.	अ0सू0-20	डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता	मुआवजा एवं पेंशन देना।	महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा	25.02.22
107.	अ0सू0-10	श्री सुदिव्य कुमार	मानदेय देना।	खाद्य,सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	24.02.22
108.	अ0सू0-38	श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह	सेवानिवृत को लाभ देना।	कृषि, पशु0 एवं सहकारिता	04.03.22
109.	अ0सू0-35	श्री अमित कुमार यादव	बीमा एवं अवकाश की सुविधा देना।	महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा	03.03.22

कृ0पृ0उ0-.....

01	02	03	04	05	06
110.	अ0सू0-08	श्री बिरंची नारायण	पेंशन एवं ई0पी0 एफ का लाभ देना	महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा	24.02.22
111	अ0सू0-31	श्री सुदिव्य कुमार	क्लिनिक का स्थापना कराना।	कृषि, पशु0 एवं सहकारिता	02.03.22
112	अ0सू0-16	श्री मनीष जायसवाल	मुआवजा देना।	महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा	24.02.22
113	अ0सू0-22	श्री प्रदीप यादव	धान क्रय का पुनर्विचार करना।	खाद्य,सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	25.02.22
114	अ0सू0-17	श्री बंधु तिर्की	बीज प्रसंस्करण इकाई चालू कराना	कृषि, पशु0 एवं सहकारिता	24.02.22
115	अ0सू0-40	श्री राजेश कच्छप	कार्रवाई करना।	महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा	05.03.22
116	अ0सू0-37	श्री रामचन्द्र सिंह	सरना/मसना की घेराबंदी।	अ0ज0,अ0ज0जा0 अल्प0एवं पि0वर्ग कल्याण	03.03.22
117	अ0सू0-32	प्रो0 स्टीफन मराण्डी	योजनाओं का क्रियान्वयन	अ0ज0,अ0ज0जा0 अल्प0एवं पि0वर्ग कल्याण	02.03.22
118	अ0सू0-33	श्री अमित कुमार मण्डल	मानदेय भुगतान करना।	महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा	02.03.22
119	अ0सू0-27	श्री दीपक बिरूवा	योजनाओं को पूर्ण कराना।	जल संसाधन	02.03.22
120	अ0सू0-29	श्री सरयू राय	विद्युत कनेक्शन कराना।	ऊर्जा	02.03.22
121	अ0सू0-30	श्री नीलकंठ सिंह मुंडा	टैब उपलब्ध कराना।	अ0ज0,अ0ज0जा0 अल्प0एवं पि0वर्ग कल्याण	02.03.22

राँची,
दिनांक- 10 मार्च, 2022 (ई0)।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-झा0वि0स0(प्रश्न)-05/2020- ......1090......./वि0स0,राँची,दिनांक- 08/03/22

प्रतिलिपिः- झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रिगण/माननीय संसदीय कार्य मंत्री/मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

(संजय कुमार)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

कृ0पृ0उ0-..........

ज्ञाप संख्याः-झा0वि0स0(प्रश्न)-05/2020- 1090 /वि0स0,राँची,दिनांक-08/03/22

प्रतिलिपिः- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/आप्त सचिव,सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

07/03/2022

(संजय कुमार)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-झा0वि0स0(प्रश्न)-05/2020- 1090 /वि0स0,राँची,दिनांक- 08/03/22

प्रतिलिपिः- कार्यवाही शाखा/ आश्वासन समिति शाखा/ वेबसाईट शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

07/03/2022

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

मोईन/-

102

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, स०वि०स० द्वारा दिनांक–10.03.2022 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं०अ०सू०–25 की उत्तर सामग्री :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर सामग्री
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि राज्य गठन के 21 वर्ष के बाद भी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत लिपिक संवर्ग के पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति तथा अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु नियमावली गठित नहीं की गई है;	अस्वीकारात्मक। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के अधिसूचना संख्या–1749, दिनांक–27.03.2010 के द्वारा झारखण्ड राज्य के विभिन्न विभागान्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों के लिपिकीय संवर्ग के पदों पर नियुक्ति हेतु "झारखण्ड राज्य लिपिक/लिपिक–सह–टंकक/टंकक/अन्य लिपिकीय संवर्ग (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्ते) नियमावली, 2010" गठित है। उक्त नियमावली विभागान्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों के लिपिक संवर्ग पर भी लागू है। विभागीय पत्रांक–3302, दिनांक–21.12.2021 द्वारा 104 निम्नवर्गीय लिपिकों के नियुक्ति हेतु अधियाचना कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को प्रेषित की गयी है।
2	क्या यह बात सही है कि कार्मिक विभाग के पत्रांक–6525, दिनांक–21.10.2021 के अनुसार दिनांक–31.10.2021 तक अनिवार्य रूप से नियमावली गठित की जानी थी;	अस्वीकारात्मक। कार्मिक विभाग के पत्रांक–6525, दिनांक–21.10.2021 के द्वारा नियमावली गठित करने का निदेश नहीं था, अपितु पूर्व से गठित नियमावली में संशोधन की कार्रवाई किया जाना था। कार्मिक विभागीय अधिसूचना संख्या–3841, दिनांक–10.08.2021 के द्वारा उक्त नियमावली में कतिपय संशोधनों को समाहित करते हुए "झारखण्ड राज्य लिपिक/ लिपिक–सह–टंकक/ टंकक/अन्य लिपिकीय संवर्ग (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्ते) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2021" का गठन किया जा चुका है। उक्त संशोधन नियमावली विभागान्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों के लिपिक संवर्ग पर भी लागू है।
3	क्या यह बात सही है कि नियमावली नहीं बन पाने के कारण उक्त विभाग में कार्यरत समस्त लिपिक आजतक अपने मूल पद पर ही कार्यरत है एवं प्रोन्नति के लाभ से वंचित है, जबकि उसी पद पर अन्य विभागों में कार्यरत कर्मी नियमावली के आलोक में प्रोन्नति का लाभ प्राप्त कर रहे है;	स्वीकारात्मक। विभागान्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों के लिपिक संवर्ग के कर्मियों को नियमानुसार शीघ्र प्रोन्नति प्रदान करने की कार्रवाई की जाएगी। ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत नियमानुसार उच्चतर वेतनमान का लाभ प्रदान किया जा रहा है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार वर्णित संवर्ग के लिए नियुक्ति एवं सेवा शर्तें नियमावली बनाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्या ?	उपरोक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांकः– 03/वि०स०(अ०सू०)–02/2022– 741 राँची, दिनांकः– 09/03/2022

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०–751, दिनांक–28.02.2022 के प्रसंग में 200(दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9/3/22

सरकार के विशेष सचिव।

(103)

माननीय स0वि0स0 श्री प्रदीप यादव द्वारा दिनांक 10.03.2022 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं०–अ०सू०–34 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्रं0	अल्प सूचित प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	क्या यह बात सही है कि सेवानिवृत मुख्य अभियंता श्री प्रदीप नारायण सिंह सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता, श्री विमल कुमार झा को जल संसाधन विभाग में गठित Pipeline Projects Monitoring Cell (PPM Cell) में क्रमशः समन्वयक और नोडल पदाधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि श्री विमल कुमार झा पर उनके कार्यकाल के दौरान कई अनियमितता, कदाचार और अनुशासनहीनता के आरोप में दण्डित किया गया है और अभी भी CBI में मामला चल रहा है;	इनके विरुद्ध एक मामले में विभागीय आदेश ज्ञापांक– 1750 दिनांक– 15.04.2015 द्वारा (i) दो वेतन वृद्धि पर असंचायात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड अधिरोपित है।
3.	क्या यह बात सही है कि दोनों सेवानिवृत अभियन्ताओं की नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव स्थापना शाखा से बिना बढ़ें ही सीधे अभियंता प्रमुख के स्तर पर हुई है जो नियम विरुद्ध है;	अस्वीकारात्मक। प्रस्ताव पर माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब नियम विरुद्ध नियुक्त दागी अभियन्ताओं को हटाते हुए विभाग में कार्यरत सुयोग्य और दक्ष अभियन्ताओं को उपरोक्त दोनों पदों पर नियुक्त करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	पाईपलाईन सिंचाई योजना नई अवधारणा है, जो इस राज्य की पठारी भू–आकृति के अनुरूप अनेक स्थलों पर सर्वथा उपयुक्त है। इस विभाग में पदस्थापित रहते हुए, इस पद्धति की सिंचाई योजनाओं का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार करने के दौरान श्री विमल कुमार झा की सक्रिय भूमिका रही है। वर्तमान में भी इस तरह की कई अन्य योजनाओं का DPR तैयार किया जा रहा है तथा तत्पश्चात् इनका कार्यान्वयन किया जाना है। तत्काल इस तरह की योजनाओं की प्रगति लगातार बनाये रखने के लिए 1 (एक) वर्ष की अवधि के लिए श्री झा एवं श्री प्रदीप नारायण सिंह की सेवा क्रमशः नोडल पदाधिकारी एवं समन्वयक के रूप में संविदा के आधार पर रखी गई है।

अनु0–(i) पूरक सामग्री।
(ii) अधिसूचना।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक:– 1415 राँची, दिनांक– 09/03/2022

प्रतिलिपि – उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा राँची को उनके ज्ञापांक सं0–875 दिनांक–03.03.2022 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/3/22

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची

Ramesh Kr.WRD,Med//

104

श्री भानु प्रताप शाही, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 10.03.2022 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०-11 का उत्तर प्रतिवेदन

<table>
<tr><th>प्रश्नकर्त्ता
श्री भानु प्रताप शाही, मा०स०वि०स०</th><th>उत्तरदाता
विभागीय मंत्री</th></tr>
<tr><td>1. क्या यह बात सही है कि घरेलु/ व्यावसायिक/ कृषि हेतु बिजली कनेक्शन दर अलग-अलग निर्धारित है जो अत्यंत ही अधिक है;</td><td>आंशिक स्वीकारात्मक।
झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं का विद्युत कनेक्शन झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित Electricity Supply Code Regulation 2015 में दिये गए प्रावधान के अनुसार प्रभावी टैरिफ के दर के आधार पर किया जाता है, जिसमें Distribution mains से supply point तक विद्युत संबंध विस्तार करने की राशि एवं प्रतिभूति राशि लेने का प्रावधान है। विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को विद्युत संबंध निर्गत करने हेतु देय ऑनलाइन प्रांरभिक डिमांड राशि की विवरणी निम्नांकित है:-
<table>
<tr><th>Description</th><th>DS-Rural (1KW)</th><th>DS-Urban (1KW)</th><th>Commercial-Urban</th><th>Agriculture</th></tr>
<tr><td>Application Fee</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr>
<tr><td>Meter Test Fee</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr>
<tr><td>Security Amount</td><td>3160</td><td>3570</td><td>6010</td><td>2270</td></tr>
<tr><td>Service Connection charge</td><td>250</td><td>250</td><td>250</td><td>250</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>3610</td><td>4020</td><td>6460</td><td>2720</td></tr>
</table>
नोटः- वांछित सर्विस लाईन सामग्री एवं अन्य उपकरण, उपलब्धता के आधार पर निगम द्वारा दिये जाने पर उसका चार्ज भी लिया जाता है अथवा उक्त सामग्री आवेदक द्वारा उपलब्ध करायी जाती है।
परिसर निरीक्षण के आधार पर आकलित अनुमानित राशि, ऑनलाइन प्रांरभिक डिमांड राशि से ज्यादा होने पर अतिरिक्त राशि आवेदक द्वारा देय होती है।
स्थायी विद्युत विच्छेदन की स्थिति में उपभोक्ताओं को प्रतिभूति राशि सूद समेत (निर्धारित दर के अनुरुप) वापस करने का प्रावधान है।
विदित हो कि केन्द्र/ राज्य सरकार द्वारा लागू विभिन्न योजनाओं के तहत निःशुल्क ग्रामीण घरेलु उपभोक्ताओं को विद्युत संबंध दिया गया है, जिसके विरुद्ध किसी भी प्रकार का बिजली कनेक्शन चार्ज नहीं लिया गया है। साथ ही तिलका माँझी ग्रामीण कृषि पम्प योजना के तहत लघु एवं सीमान्त कृषकों को निःशुल्क सिंगल फेज विद्युत संबंध दिया गया है।</td></tr>
<tr><td>2. क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित कनेक्शन का दर अधिक होने के कारण आम ग्रामीण/ कृषकों/ व्यवसाय करने वाले लोगों को कठिनाई हो रही है या कनेक्शन से वंचित रह जा रहे हैं या अवैध बिजली कनेक्शन का मामला बढ़ रहा है;</td><td>अस्वीकारात्मक।</td></tr>
<tr><td>3. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखण्ड में रहने वाले व्यक्तियों की आय के मद्देनजर रियायत दर पर बिजली उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?</td><td>Electricity Act' 2003 के प्रावधानुसार, विद्युत संबंध निर्गत करने संबंधित रियायत, आय के आधार पर दिए जाने का प्रावधान नहीं है।</td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 451 / दिनांक 08/03/2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/03/22

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 10.03.2022 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–18 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री मनीष जायसवाल
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री रामेश्वर उराँव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य में अबतक धान खरीद हेतु 2.24 लाख किसानों का ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन कराया गया है तथा अबतक लगभग 19 हजार निबंधित किसानों से सरकार द्वारा धान क्रय की गई है;	धान अधिप्राप्ति हेतु ई–उपार्जन पोर्टल पर 2,55,543 (दो लाख पचपन हजार पाँच सौ तैंतालीस) किसान निबंधित हैं। दिनांक 07.03.2022 तक 87,513 (सतासी हजार पाँच सौ तेरह) किसानों से धान की अधिप्राप्ति की गई है।
(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में सरकार द्वारा निबंधित किसानों से धान क्रय का लक्ष्य 80 लाख क्विंटल निर्धारित की जाने के बावजूद सरकार द्वारा अब तक मात्र 10 लाख क्विंटल धान ही क्रय की गई है, जो सरकार द्वारा निर्धारित कुल लक्ष्य का लगभग 12% है;	खरीफ विपणन मौसम 2021–22 में सरकार द्वारा धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 80 लाख क्विंटल निर्धारित है। उक्त लक्ष्य के विरूद्ध दिनांक 07.03.2022 तक 45,10,719.92 (पैंतालीस लाख दस हजार सात सौ उनीस दशमलव नौ दो) क्विंटल धान की अधिप्राप्ति की जा चुकी है, जो निर्धारित लक्ष्य का 56.38 प्रतिशत है।
(3) क्या यह बात सही है कि हजारीबाग में निबंधित कुल 28,296 किसानों में अबतक मात्र 09 हजार किसानों से धान क्रय की गई तथा जिन किसानों से धान क्रय की गई उनका भुगतान अबतक लम्बित है जबकि सरकार द्वारा उक्त मद में 15 सौ करोड़ रूपये राशि का प्रावधान की गई है;	हजारीबाग जिलान्तर्गत ई–उपार्जन पोर्टल पर 35,850 (पैंतीस हजार आठ सौ पचास) किसान निबंधित हैं, जिनमें से 18,780 किसानों से धान की अधिप्राप्ति की गई है। खरीफ विपणन मौसम 2021–22 में हजारीबाग जिला हेतु 14 लाख क्विंटल धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके विरूद्ध दिनांक 07.03.2022 तक 8,20,259.15 (आठ लाख बीस हजार दो सौ उनसठ दशमलव एक पाँच) क्विंटल धान की अधिप्राप्ति की गई है, जो लक्ष्य का 58.59 प्रतिशत है, जिसके प्रथम किस्त के भुगतान हेतु राशि 79.56 करोड़ के विरूद्ध रूपये 76.60 करोड़ निगम कार्यालय हजारीबाग को उपलब्ध करायी गयी है एवं दिनांक 07.03.2022 तक रूपये 72.51 करोड़ का भुगतान किसानों को किया जा चुका है।
(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के किसानों से क्रय की गई राशि का भुगतान करते हुए हजारीबाग सहित राज्य के अन्य जिलों में धान क्रय की शेष लंबित लक्ष्य की प्राप्ति चालू वित्तीय वर्ष में करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	पूरे राज्य में दिनांक 07.03.2022 तक 45,10,719.92 (पैंतालीस लाख दस हजार सात सौ उनीस दशमलाव नौ दो) क्विंटल धान की अधिप्राप्ति की गई है, जिसका प्रथम किस्त के भुगतान हेतु कुल रूपये 437.53 करोड़ की आवश्यकता है। इसके विरूद्ध जिलों को कुल रूपये 460.90 करोड़ उपलब्ध करायी जा चुकी है। जिलों द्वारा रूपये 373.96 करोड़ का भुगतान किसानों को किया जा चुका है। भुगतान में शीघ्रता लाने हेतु सभी जिला प्रबंधक को निदेश दिया गया है।

ह०/–
(ज्योति कुमारी झा),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–1/ज०वि०प्र०/वि०स०/23–18/2022 709 /राँची, दिनांक 08/03/22

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या–254, दिनांक 24.02.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/03/2022

सरकार के अवर सचिव।

106

श्री डॉ0 कुशवाहा शशि भूषण मेहता, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–10.03.2022 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या– 20 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में 38 हजार आंगनबाड़ी केन्द्र हैं जहॉ 75 हजार सेविका/ सहायिका बाल विकास परियोजना में निरन्तर अल्प मानदेय में बहुमुल्य योगदान देकर समाज से कुपोषण हटाने तथा पोलियो जैसे भयावह की बीमारी को देश से मिटाने में अहम भूमिका निभायी है ;	आंशिक रुप से स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि पड़ोसी राज्य बिहार एवं दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु तथा गोवा जैसे राज्यों की तुलना में सेविका/सहायिकाओं का मानदेय काफी कम है ;	आंशिक रुप से स्वीकारात्मक। भारत सरकार द्वारा प्रावधानित दर आँगनबाड़ी सेविका के लिए रु0 4500/– प्रतिमाह, लघु आँगनबाड़ी सेविका के लिए रु0 3500/– प्रतिमाह तथा आँगनबाड़ी सहायिका के लिए रु0 2250/– प्रतिमाह भुगतान इन कर्मियों को किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधन से भी इन कर्मियों को प्रतिमाह क्रमशः रु0 1900/–, रु0 1200/– एवं रु0 950/– अतिरिक्त मानदेय भुगतान किया जा रहा है। अतिरिक्त मानदेय के भुगतान की यह दर बिहार सहित कई राज्यों में भुगतेय दर से अधिक है एवं दिल्ली, गोवा, हरियाणा, तमिलनाडू राज्यों से कम है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार नियमावली बनाकर सेविका/सहायिका को तृतीय एवं चतुर्थवर्गीय कर्मचारी का दर्जा देकर वेतन देना, सेवानिवृति लाभ सहित 65 वर्ष करने तथा कार्यावधि में किसी सेविका/सहायिका की मृत्यु हो जाने पर आश्रितों को 4 लाख मुआवजा एवं पेंशन देने का विचार रखती है, हॉं, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	एतद् संबंधी कोई प्रस्ताव सम्प्रति राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 03/म0स0/विधान सभा– 94/2022 – 535 राँची, दिनांक : 03-03-2022

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके पत्र सं0–605/वि0स0 दिनांक–25.02.2022 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3/22

(अरशद जमाल)

सरकार के अवर सचिव।

(107)

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 10.03.2022 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–10 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री सुदिव्य कुमार
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री रामेश्वर उराँव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि केन्द्र व राज्य सरकार की अत्यंत महत्वकांक्षी योजनाओं को सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पूंजी लगाकर चालू रखने में हजारों जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों की अहम भूमिका है;	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत राज्य भर में 25,409 जन वितरण प्रणाली दुकानदार कार्यरत हैं।
(2) क्या यह बात सही है कि लाइसेंसी पी०डी०एस० दुकानदारों को बी०पी०एल० के एक क्विंटल गेहूँ पर 19.40 रूपये एवं चावल पर 26.10 रूपये कमीशन देय है, ए०पी०एल० योजना में कमीशन की राशि प्रति क्विंटल 33.50 रूपये गेहूँ पर एवं 55.50 रूपये चावल के लिए निर्धारित है;	वर्तमान में जन वितरण प्रणाली के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभुकों को एक रूपये प्रति किलोग्राम की दर से खाद्यान्न का वितरण किया जाता है। इस प्रकार एक रूपये प्रति किलोग्राम की दर से प्राप्त होने वाले उपभोक्ता मूल्य को जन वितरण प्रणाली दुकानदार द्वारा डीलर कमीशन के रूप में रख लिया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत 70 रूपये प्रति क्विंटल की दर से डीलर कमीशन की राशि का प्रावधान किया गया है जिसमें से 35 रूपये प्रति क्विंटल भारत सरकार द्वारा दिया जाता है एवं 35 रूपये प्रति क्विंटल का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। साथ ही, ई–पॉस मशीन से खाद्यान्न वितरण करने पर 17 रूपये प्रति क्विंटल की दर से Additional Margin दिए जाने का प्रावधान है जिसमें से 8.50 रूपये प्रति क्विंटल भारत सरकार द्वारा तथा शेष 8.50 रूपये प्रति क्विंटल राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इस प्रकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भारत सरकार द्वारा डीलर कमीशन हेतु 35 + 8.50 = 43.50 रूपये प्रति क्विंटल की दर से डीलर कमीशन की राशि दी जाती है जबकि राज्य सरकार द्वारा 100 रूपये प्रति क्विंटल की दर से डीलर कमीशन देने हेतु 100 – 43.50 = 56.50 रूपये का वहन राज्य निधि से किया जाता है। खाद्यान्न के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं पर देय कमीशन की राशि कंडिका–3 में अंकित है।
(3) क्या यह बात सही है कि वर्णित कमीशन की राशि से जन वितरण प्रणाली के दुकानदार को परिवार का भरण पोषण करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है;	वर्तमान में जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को खाद्यान्न एवं अन्य सामग्रियों के वितरण पर निम्नवत् दर से डीलर कमीशन की राशि देय है :–
(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पी०डी०एस० दुकानदारों को मानदेय निर्धारित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	

सामग्री	दर
खाद्यान्न (चावल एवं गेहूँ)	100 रूपये प्रति क्विंटल
चीनी	100 रूपये प्रति क्विंटल
नमक	100 रूपये प्रति क्विंटल
किरासन तेल	1.00 रूपये प्रति लीटर
धाती/लुंगी/साड़ी	1.00 रूपये प्रति वस्त्र

खाद्यान्न एवं अन्य सामग्रियों के वितरण पर जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को प्राप्त कमीशन की राशि औसतन लगभग 6,500 रूपये प्रति माह है।

डीलर के Financial Viability बढ़ाने के लिए वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने हेतु Common Service Centre (CSC), प्रज्ञा केन्द्र के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है। प्रथम चरण में 6,737 दुकानों को प्रज्ञा केन्द्र के रूप में

	विकसित किया जाना है जिसमे से अब तक 1,214 को प्रज्ञा केन्द्र की सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है एवं शेष में कार्य प्रक्रियाधीन है। प्रज्ञा केन्द्र के रूप में विकसित होने पर जन वितरण प्रणाली दुकानदार जाति, आवासीय, आय, जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र, Aadhar Enrolment, बिजली बिल एवं रिचार्ज आदि एवं अन्य सुविधा ग्रामीणों को उपलब्ध करा कर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण ई–स्टोर डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को बेच सकते हैं। इससे दुकानदारों के आय में काफी वृद्धि होगी।

ह0 / –
(ज्योति कुमारी झा),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–1 / ज०वि०प्र० / वि०स० / 23–03 / 2022 708 / राँची, दिनांक 08/03/22

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या–267, दिनांक 24.02.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/03/2022

सरकार के अवर सचिव।

108

श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–10.03.2022 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–38 का प्रश्नोत्तरः–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, माननीय सदस्य विधान सभा, झारखण्ड, राँची	श्री बादल पत्रलेख, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि डालटेनगंज, को–ऑपरेटिव बैंक, पलामू से सेवानिवृत्त कर्मियों को आजतक सेवानिवृत्त का लाभ, बकाया वेतन, उपादान की राशि एवं अन्य सुविधाओं से वंचित रखा गया है;	आंशिक स्वीकरात्मक। डालटेनगंज सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक, पलामू से सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवानिवृत का लाभ बकाया वेतन, उपादान की राशि एवं अन्य सुविधाओं का आंशिक भुगतान किया जा चुका है।
2.	क्या यह बात सही है कि सेवानिवृत्त के उपरांत मिलने वाले लाभों के अभाव में बहुत से सेवानिवृत्त कर्मियों की मृत्यु भी हो चुकी है परन्तु उन्हें उक्त लाभ आजतक नहीं दिया गया है;	आंशिक स्वीकरात्मक। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के निदेश पर बैंक की उपलब्ध परिसम्पतियों की निलामी कर बैंक कर्मियों को समानुपातिक भुगतान किया जा चुका है।
3.	क्या यह बात सही है कि सेवानिवृत्त कर्मियों का लगभग 40 माह का वेतन भी लंबित है तथा वैसे कर्मियों की संख्या लगभग 170 है;	आंशिक स्वीकरात्मक। डालटेनगंज सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक, पलामू से सेवानिवृत्त कर्मियों का 40 माह का आंशिक वेतन भुगतान किया जा चुका है। पुनः उल्लेखनीय है कि माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के निदेश पर बैंक की उपलब्ध परिसम्पतियों की निलामी कर बैंक कर्मियों को समानुपातिक भुगतान किया जा चुका है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार डालटेनगंज, को–ऑपरेटिव बैंक से सेवानिवृत्त हुए सभी कर्मियों को उपरोक्त सभी लाभों को अविलम्ब भुगतान का विचार रखती है, हाँ, तो, कबतक, नही तो क्यों ?	ज्ञातव्य है कि दी डालटेनगंज सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक, पलामू सहकारी समिति अधिनियम 1935 के तहत गठित है तथा इसके कर्मियों के वेतनादि का भुगतान समिति/बैंक के लाभ से वितरित करने का प्रावधान है। वर्तमान में बैंक परिसमापनाधीन (Under Liquidation) है। अतः सरकार के स्तर से डालटेनगंज, को–ऑपरेटिव बैंक से सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को सेवानिवृति लाभों का भुगतान करना नियमसंगत नहीं है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(सहकारिता प्रभाग)

ज्ञापांक–04/बैंकिंग विधान सभा (अ0सू0)–23/2022 सह0 283 **/राँची, दिनांक–** 09.03.2022

प्रतिलिपिः–सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0प्र0–942 वि0स0 दिनांक–04.03.2022 के क्रम में 200 चत्रलिखित प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव। 09/03/22

E:\S.Murmu\2021-2022\Vidhan saba Question 2021-22.docx

(109)

श्री अमित कुमार यादव, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–10.03.2022 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– 35 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के छः जिलों कोडरमा, चतरा, गिरिडीह, धनबाद, गोड्डा, दुमका के प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्रों में पोषण सखियों का नियोजन किया गया था, जिन्हें विगत 12 माह से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है ;	स्वीकारात्मक। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका–सह–पोषण परामर्शी (पोषण सखी) का मानदेय बंद कर दिया गया है। इस स्थिति में पोषण सखी के मानदेय भुगतान की कार्रवाई लंबित है।
2.	क्या यह बात सही है कि इन पोषण सखी को 3000/– रुपये प्रतिमाह मानदेय के अलावे अन्य कोई सुविधा यथा अवकाश, बीमा आदि प्रदान नहीं की जाती है ;	स्वीकारात्मक। भारत सरकार के निदेश के आलोक में पोषण सखियों को रु0 3000/– प्रतिमाह मानदेय निर्धारित किया गया था। अन्य सुविधा के अन्तर्गत मात्र आकस्मिक अवकाश की अनुमान्यता है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार इनके लंबित मानदेय का भुगतान अविलंब करते हुए इनके मानदेय की वृद्धि तथा बीमा एवं अवकाश की सुविधा देना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सम्प्रति पोषण सखी की सेवा संबंधी मामला राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है एवं उन्हें मानदेय भुगतान करने पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 03/म0स0/विधान सभा– 107/2022 –588 राँची, दिनांक : 09-03-2022

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके पत्र सं0–878/वि0स0 दिनांक–03.03.2022 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9.3.22

(अरशद जमील)

सरकार के अवर सचिव।

(110)

श्री बिरंची नारायण, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–10.03.2022 को पूछे जाने वाले
अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– ~~म०स०~~–08 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि बोकारो सहित राज्यभर की सेविका एवं सहायिका अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर झारखण्ड राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के तहत आंदोलनरत है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि इनकी प्रमुख मांगों में मानदेय/वेतन की बढ़ोतरी करते हुए सेविका को 20,000/– रुपये प्रतिमाह और सहायिका को 10,000/– रुपये प्रतिमाह करने के साथ–साथ इनकी सेवा को स्थायी करते हुए इनको सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन की व्यवस्था से संबंधित है;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार कॉन्ट्रेक्ट–कर्मी (अनुबंध–कर्मी) को स्थायी करते हुए उन्हें वेतनमान भुगतान हेतु कृत संकल्पित है ;	कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग से संबंधित है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ऑगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका के उपरोक्त विभिन्न मांगों को पूरा करवाते हुए उनका स्थायीकरण कर उन्हें पेंशन और ईपीएफ का लाभ देने का विचार करती है, हॉ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	आँगनबाड़ी सेविका एवं आँगनबाड़ी सहायिका के लिए एतद् संबंधी कोई भी प्रस्ताव राज्य सरकार के पास सम्प्रति विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 03/म0स0/विधान सभा– 84/2022 –548 राँची, दिनांक : 04-03-2022

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके पत्र सं0–252/वि0स0 दिनांक–24.02.2022 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/3/22

(अरशद जमाल)
सरकार के अवर सचिव।

(111)

श्री सुदिव्य कुमार, माननीय स०वि०स० द्वारा पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न सं०–31 का उत्तर सामग्री प्रतिवेदन के संबंध में।

क्र0 सं0	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री सुदिव्य कुमार, माननीय स०वि०स०	श्री बादल, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची
	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के किसी भी प्रखण्ड में अबतक पशु क्लिनीक की स्थापना नहीं किया जा सका है;	अस्वीकारात्मक। राज्य के सभी प्रखण्ड में प्रथम वर्गीय पशुचिकित्सालय के नाम से पशु क्लिनीक स्थापित है।
2	क्या यह बात सही है कि पशु क्लिनीक नहीं होने के कारण पशुओं का ससमय ईलाज नहीं हो पाता है;	अस्वीकारात्मक। राज्य में सभी प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय में पशुओं का ससमय ईलाज, टीकाकरण एवं अन्य चिकित्सीय कार्य किया जाता है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार प्रखण्ड स्तर पर पशु क्लिनीक का स्थापना करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

ज्ञापांक – 5 बजट (1) 06/2022 प०पा० 221 राँची, दिनांक 08/03/22
प्रतिलिपि –अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक 806 दिनांक 02.03.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं 200 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08.03.2022
(शिव कुमार केडिया)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक – 5 बजट (1) 06/2022 प०पा० 221 राँची, दिनांक 08/03/22
प्रतिलिपि – अवर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, (विधायी शाखा, पशुपालन प्रभाग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08.03.2022
सरकार के अवर सचिव

(112)

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 10.03.2022 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–22 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री प्रदीप यादव
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री रामेश्वर उराँव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि सरकार ने 50 क्विंटल से अधिक धान MSP पर बेचने वाले किसानों का राशन कार्ड निरस्त करने का फैसला लिया है;	विभागीय संकल्प संख्या–2754, दिनांक 27.10.2021 द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2021–22 में धान अधिप्राप्ति हेतु अधिकतम सीमा प्रति किसान 200 (दो सौ) क्विंटल निर्धारित की गई है ताकि अधिक से अधिक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिल पाये। प्रश्नगत मामले के संबंध में 50 क्विंटल से अधिक धान बेचने वाले किसानों का राशनकार्ड निरस्त करने का कोई भी फैसला राज्य सरकार द्वारा नहीं लिया गया है।
(2) क्या यह बात सही है कि निर्धारित नियम के अनुसार 10 एकड़ तक असिंचित भूमि वाले किसान राशन कार्ड के पात्रता को रखता है;	झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण आदेश) 2019 की 4 (iii) में अंकित अपवर्जन मानक (Exclusion creteria) के अनुसार वैसा परिवार, जिनके पास पाँच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि अथवा दस एकड़ से अधिक असिंचित भूमि हो, राशन कार्ड की पात्रता नहीं रखता है। अर्थात् 10 एकड़ तक असिंचित भूमि वाले किसान राशनकार्ड की पात्रता रखते हैं।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राशन कार्ड हेतु निर्धारित नियम के अनुरूप सरकार धान बेचने की सीमा पर पुनर्विचार करना चाहती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	वर्तमान में धान अधिप्राप्ति की अधिकतम सीमा प्रति किसान 200 क्विंटल निर्धारित है। अतः उपुर्यक्त कंडिका–1 में निहित तथ्यों के आलोक में पुनर्विचार किया जाना अपेक्षित नहीं है।

ह0/–
(ज्योति कुमारी झा),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–1/ज०वि०प्र०/वि०स०/23–21/2022 705 /राँची, दिनांक 08/03/22

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या– 603, दिनांक 25.02.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/03/2022
सरकार के अवर सचिव।

113

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 10.03.2022 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–22 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री प्रदीप यादव
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री रामेश्वर उराँव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि सरकार ने 50 क्विंटल से अधिक धान MSP पर बेचने वाले किसानों का राशन कार्ड निरस्त करने का फैसला लिया है;	विभागीय संकल्प संख्या–2754, दिनांक 27.10.2021 द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2021–22 में धान अधिप्राप्ति हेतु अधिकतम सीमा प्रति किसान 200 (दो सौ) क्विंटल निर्धारित की गई है ताकि अधिक से अधिक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिल पाये। प्रश्नगत मामले के संबंध में 50 क्विंटल से अधिक धान बेचने वाले किसानों का राशनकार्ड निरस्त करने का कोई भी फैसला राज्य सरकार द्वारा नहीं लिया गया है।
(2) क्या यह बात सही है कि निर्धारित नियम के अनुसार 10 एकड़ तक असिंचित भूमि वाले किसान राशन कार्ड के पात्रता को रखता है;	झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण आदेश) 2019 की 4 (iii) में अंकित अपवर्जन मानक (Exclusion creteria) के अनुसार वैसा परिवार, जिनके पास पाँच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि अथवा दस एकड़ से अधिक असिंचित भूमि हो, राशन कार्ड की पात्रता नहीं रखता है। अर्थात् 10 एकड़ तक असिंचित भूमि वाले किसान राशनकार्ड की पात्रता रखते हैं।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राशन कार्ड हेतु निर्धारित नियम के अनुरूप सरकार धान बेचने की सीमा पर पुनर्विचार करना चाहती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	वर्तमान में धान अधिप्राप्ति की अधिकतम सीमा प्रति किसान 200 क्विंटल निर्धारित है। अतः उपुर्यक्त कंडिका–1 में निहित तथ्यों के आलोक में पुनर्विचार किया जाना अपेक्षित नहीं है।

ह0 / –
(ज्योति कुमारी झा),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–1 / ज०वि०प्र० / वि०स० / 23–21 / 2022 705 / राँची, दिनांक 08/03/22

प्रतिलिपि – उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या– 603, दिनांक 25.02.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/03/2022

सरकार के अवर सचिव।

D:\Vikash Kumar 2021-22\B Krishna Udaya\Vidhan Sabha\Budget Session\vidhan sabha Question & Answer 10.03.2022.docx

114

श्री बब्धु तिर्की, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-10.03.2022 को पूछा जाने वाला अल्प-सूचित प्रश्न सं0-अ0सू0-17 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता- श्री बब्धु तिर्की, माननीय स0वि0स0		उत्तरदाता-माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत ईटकी प्रखण्ड के तिलक सूती गाँव में स्थापित राज्य का एकमात्र बीज प्रसंस्करण इकाई उद्घाटन के 9 वर्षो बाद भी चालू नहीं किया जा सका है;	आंशिक स्वीकारात्मक। तिलकसूती स्थित बीज प्रसंस्करण इकाई चालू हालत में नेशनल फारमर्स क्लब को-ऑपरेटिव सोसाईटी लि0 को निविदा के माध्यम से संचालन हेतु दी गयी। उक्त समिति द्वारा बीज प्रसंस्करण इकाई के संचालन से संबंधित विषय को निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची के न्यायालय में चुनौती दी गयी। वर्त्तमान में उक्त प्रसंसकरण इकाई संचालक समिति के अधिकार में है तथा मामला न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त बीज प्रसंस्करण इकाई वेजफेड द्वारा संचालक समिति से वापस हस्तगत करने की कार्रवाई की जा रही है। तत्पश्चात पुनः निविदा कर चालू कर दी जायेगी।
2	क्या यह बात सही है कि किसानों को बीज के प्रति आत्मनिर्भर बनाए जाने के उद्देश्य को लेकर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत् एनवीआई मद से सरकार ने करोड़ों रुपये की लागत से बीज प्रसंस्करण इकाई की स्थापना करायी है तथा इकाई में सभी आवश्यक अत्याधुनिक उपकरण भी लगाए गए है;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राज्य की एकमात्र बीज प्रसंस्करण इकाई को चालू करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति कंडिका-1 में स्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-04/कृ0वि0स0(अ0सू0)-01/2022 447 /कृ0, राँची, दिनांक-03/03/2022

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0-253 दिनांक-24.02.2022 के प्रसंग में (200 प्रतियों के साथ) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राघवेन्द्र झा)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-04/कृ0वि0स0(अ0सू0)-01/2022 447 /कृ0, राँची, दिनांक-03/03/2022

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अवर सचिव, प्रभागीय प्रशाखा-9 (विधायी शाखा), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

(115)

ो राजेश कच्छप, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–10.03.2022 को पूछे जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–40 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में दिव्यांग जनों के हित से जुड़े कार्य योजनाओं व कार्यक्रमों के सही क्रियान्वयन व दिव्यांग जनों के शिकायत निवारण हेतु राज्य निःशक्तता आयुक्त एक सवैंधानिक पद है ;	अस्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित पद पिछले 1 वर्ष से रिक्त पड़ा हुआ है, जिसके कारण राज्य के लगभग 10 लाख दिव्यांग जनों से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन व उनके शिकायत निवारण तंत्र प्रभावित हो गया है ;	राज्य में दिव्यांगजनों के लिए राज्य निःशक्तता आयुक्त का कार्यालय क्रियाशील है, जो दिव्यांगजनों से प्राप्त शिकायतों के निवारण की कार्रवाई करता है। इसके अतिरिक्त विभाग स्तर से भी दिव्यांगजनों से संबंधित समस्याओं का निवारण एवं सभी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है ;
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित पद रिक्त (Vacant) रखना दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016 व दिव्यांगजन अधिकार नियमावली झारखण्ड, 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन है ;	राज्य में निःशक्तता आयुक्त के रिक्त पद पर नियुक्ति के क्रम में तीन नामों का पैनल अनुशंसित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा झारखण्ड दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2018 में विसंगति को देखते हुए इसमें संशोधन करने की अनुशंसा की गई है।उक्त अनुशंसा के आलोक में झारखण्ड दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2018 में संशोधन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। नियमावली के संशोधन के पश्चात राज्य निःशक्तता आयुक्त के रिक्त पद पर नियुक्ति की कार्रवाई की जायेगी।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित विषय के आलोक में कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो, कबतक, नही तो क्यो ?	यथा कंडिका–3 में वर्णित।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 03/म0स0/विधान सभा– 108/2022 –590 राँची, दिनांक : 09-03-2022

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके पत्र सं0–956/वि0स0 दिनांक–05.03.2022 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9.3.22

(अरशद जमील)
सरकार के अवर सचिव।

116

श्री रामचन्द्र सिंह, मा० स० वि० स० द्वारा दिनांक– 10.03.2022 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–37 का उत्तर–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
01.	क्या यह बात सही है कि कल्याण विभाग झारखण्ड सरकार द्वारा प्राप्त मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश के कंडिका 2.3 पर योजना के क्रियान्वयन के लिए "सिर्फ सरकारी कार्यालय को ही कार्यकारी एजेंसी के रूप में सम्बद्ध करने की अनुमति दी जायेगी किसी भी अर्द्धसरकारी एवं गैर–सरकारी संस्था को इस कार्य हेतु एजेंसी नियुक्त नहीं की जायेगी" का स्पष्ट उल्लेख है;	स्वीकारात्मक।
02.	क्या यह बात सही है कि SCA to TSP मद के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष– 2013–14 में स्वीकृत Expansion of Minor Irrigation Facility योजनान्तर्गत Desiltation of pond योजना का क्रियान्वयन निविदा प्रक्रिया द्वारा की गई जो खण्ड–1 में वर्णित निर्देशन के विरूद्ध है;	अस्वीकारात्मक। विभागीय पत्रांक– 291 दिनांक– 07.02.2014 द्वारा निर्गत मार्गनिदेश की कंडिका–2 (Desiltation of Pond) की उप कंडिका–2.2 के अनुसार इस योजना में निहित जीर्णोद्धार संबंधित कार्य वित्त नियमावली के प्रावधानानुसार निविदा के माध्यम से कराया जाना है।
03.	क्या यह बात सही है कि SCA to TSP/SCA to TSS मद अन्तर्गत योजना चयन हेतु स्पष्ट निर्देश है कि योजना स्थल अनु0ज0जाति बहुल हो एवं लाभुक अनु0ज0जाति का हो जिससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह योजना अनु0जनजाति के लोगों के विकास एवं स्वनियोजन के दृष्टिकोण से संबंधित है;	स्वीकारात्मक। इसके तहत अनुसूचित जनजाति बहुल इलाकों में योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जाता है। जिसके तहत मूलभूत आधारभूत सुविधाओं यथा पेयजल की सुविधा, स्वच्छता, विद्युतीकरण, सड़क सम्पर्क, यातायात की सुविधा आदि की व्यवस्था के साथ–साथ अनुसूचित जनजाति के लोगों को कौशल विकास के माध्यम से आजीविका एवं स्वरोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाता है।
04.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार SCA to TSP/SCA to TSS योजना का क्रियान्वयन खंड 01 में वर्णित नियमानुसार विभागीय या सरना/मसना स्थल घेराबंदी के नियम लाभुक समिति द्वारा कराने का विचार रखती है हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	SCA to TSP/SCA to TSS योजना के तहत योजनाओं की स्वीकृति एवं शत प्रतिशत अनुदान जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है।

9/3/2022

झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–10/SCA to TSP-वि०स०प्र०–01/2022 – 746 राँची, दिनांक– 9/3/22

प्रतिलिपि–1. 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं०–887 दिनांक–03.03.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. प्रशाखा–6 (विधायी कार्य), अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9/3/2022

(स्मृता कुमारी)

सरकार के अवर सचिव।

F:\kailash_Office\Letter\Letter on Vidhan_Sabha.doc

(117)

प्रो0 स्टीफन मराण्डी, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–10.03.2022 को पूछे जाने वाले अल्प सूचित– प्रश्न संख्या–अ0सू0–32 का उत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पाकुड़ जिलान्तर्गत आदिम जनजाति– पहाड़िया समुदाय के करीब 12 हजार परिवार निवास करते हैं, जिनकी आबादी करीब 50 हजार है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि जिला मुख्यालय से 25 व हिरणपुर प्रखण्ड मुख्यालय से आठ कि0मी0 दूर पहाड़िया समुदाय के बमनी गाँव में 35 परिवार रहते हैं, जिनकी आबादी 160 है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि अधिकांश पहाड़िया समुदाय के अन्य गाँवों की भांति बमनी गाँव में भी न स्कूल, न स्वास्थ्य केन्द्र, न यहां तक पहुँचने के लिए अच्छी सड़क है, फलतः उक्त गाँव में 40 वर्ष से अधिक उम्र के मात्र 05 लोग ही बचे हैं;	उपायुक्त, पाकुड़ के पत्रांक–394, दिनांक–07.03.2022 के द्वारा प्रतिवेदित है कि:– 1. बमनी गाँव में उत्क्रमित मध्य विद्यालय अवस्थित है, जिसमें पहाड़िया समुदाय के 25 (पच्चीस) बच्चे नामांकित एवं अध्ययनरत हैं। 2. बमनी गाँव में स्वास्थ्य केन्द्र अवस्थित नहीं है बल्कि बमनी गाँव से 05 कि0मी0 की दूरी पर डांगापाड़ा गाँव में स्वास्थ्य उपकेन्द्र संचालित है। 3. सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–244/स्वी०, दिनांक–13.12.2021 से शीर्ष 4515 अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में "डांगापाड़ा PWDपथ से बमनीपहाड़ होते हुए डुमरिया REOपथ तक पथ निर्माण कार्य" लम्बाई– 3.310 कि0मी0 लागत राशि–281.188 लाख की स्वीकृति प्राप्त है। योजना में निविदा की प्रक्रिया सम्पन्न कराते हुए कार्यादेश निर्गत किया जा चुका है। कार्य समाप्ति की तिथि–10.05. 2023 निर्धारित है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सुविधाविहीन आदिम जनजाति पहाड़िया समुदाय के अस्तित्व की रक्षा हेतु कोई क्षमताशाली ठोस योजनाओं के क्रियान्वयन का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा पी०वी०टी०जी०के उत्थान हेतु अनेक योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं।

झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांकः–06/वि0स0अल्प0–05/22– 743 राँची, दिनांक– 09/03/2022

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक– 811, दिनांक–02. 03.2022 के आलोक में दो सौ प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(स्मृति कुमारी)
सरकार के अवर सचिव।

118

श्री अमित कुमार मण्डल, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–10.03.2022 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– 33 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिलान्तर्गत मेहरमा प्रखण्ड, पंचायत–सौचिकला, ग्राम–दासुचकला आंगनबाड़ी केन्द्र के पोषण सखी का निधन राशि के अभाव में दिनांक– 04 जनवरी, 2022 को तथा गिरिडीह जिला के पोषण सखी श्रीमती उर्मिला देवी के पति का निधन राशि के अभाव में हो गया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। मेहरमा प्रखंड अन्तर्गत पंचायत–सौचिकला, ग्राम–दासुचकला आंगनबाड़ी केन्द्र–दासुचकला–01 में कार्यरत पोषण सखी बिमली टोप्पो, पति–मनोज लकड़ा का निधन दिनांक– 03.01.2022 को बीमारी के कारण हुई है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि इनकी मृत्यु वायरल हेपेटाईटिस बी0 एवं लिवर फेल्योर होने के कारण हो गई थी। गोड्डा जिलान्तर्गत कार्यरत पोषण सखी का मानदेय भुगतान माह फरवरी, 2021 तक हो चुका है। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, गिरिडीह द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अनुसार श्रीमती उर्मिला देवी के पति का लम्बी अवधि से किडनी की बिमारी से ग्रसित रहने के कारण तबियत खराब चल रही थी। अक्टूबर, 2020 में ईलाज के दौरान पता चला कि इनके दोनों किडनी खराब हो गये थे और तत्पश्चात् इनके पति ईलाजरत थे। ईलाज के दौरान दिनांक– 22.01.2022 को इनके पति की मृत्यु हो गई। गिरिडीह जिला में कार्यरत पोषण सखियों का मानदेय फरवरी, 2021 तक भुगतान किया जा चुका है।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा पोषण सखी का मानदेय वर्ष 2019 के बाद से बन्द कर दिया गया है जिससे राज्य के 10,388 पोषण सखी की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका–सह–पोषण परामर्शी (पोषण सखी) का मानदेय बंद कर दिया गया है। इस स्थिति में पोषण सखी के मानदेय भुगतान की कार्रवाई लंबित है।
3.	क्या यह बात सही है कि भारत सरकार के पत्रांक संख्या–अ0शा0 पत्र संख्या–14–01/2021, दिनांक– 23 नवम्बर, 2021 के द्वारा राज्य सरकार को अपने संसाधन के माध्यम से मानदेय का भुगतान करने का अनुरोध किया गया है ;	स्वीकारात्मक। सम्प्रति पोषण सखी की सेवा संबंधी मामला राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है एवं उन्हें मानदेय भुगतान करने पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार पोषण सखीयों को मानदेय भुगतान प्रारम्भ करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	यथा कंडिका–3 में वर्णित।

झारखण्ड सरकार
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 03/म0स0/विधान सभा– 100/2022 –589 रॉंची, दिनांक : 09-03-2022

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, रॉंची को उनके पत्र सं0–800/वि0स0 दिनांक–02.03.2022 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9.3.22
(अरशद जमाल)
सरकार के अवर सचिव।

(119)

श्री दीपक बिरूवा, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 10.03.2022 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या –अ०सू०–27 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के प०सिंहभूम के फेज–5, टर्न–की के आधार पर शुरू जलाशय पुनासी मिट्टी बाँध के चेनेज का काम, हीरू जलाशय योजना का पुनरूद्धार एवं रामरेखा जलाशय योजना का निर्माण वर्ष 2013–14 एवं वर्ष 2014–15 में प्रारंभ किया गया था ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त योजनाओं में अब तक 112.46 करोड़ रूपय खर्च किए जा चुके है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। इन योजनाओं का अबतक कुल व्यय रू० 204.05 करोड़ निम्नवत हुआ है :– 1 शुरू जलाशय योजना– रू० 29.45 करोड़ 2 पुनासी जलाशय योजना के बाँध निर्माण कार्य– रू० 122.02 करोड़ 3 हीरू जलाशय योजना– रू० 1.96 करोड़ 4 रामरेखा जलाशय योजना– रू० 50.62 करोड़
3	क्या यह बात सही है कि उक्त योजनाओं को क्रमशः एक साल से पाँच साल तक की अवधि में पूरा करने का समय सीमा निर्धारित की गई थी ;	स्वीकारात्मक।
4	क्या यह बात सही है कि 08 वर्ष बीत जाने तथा तय समय में पुरा नहीं किए जाने से लागत में लगातार वृद्धि हो रही है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। शुरू एवं रामरेखा जलाशय योजना के एकरारनामा के शर्तानुसार संवेदक को Price Adjustment देय नहीं है।
5	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार प्रभारी अभियंताओं द्वारा जानबुझकर योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूर्ण नहीं करने के आलोक में एवं सरकारी राशि का दुरूपयोग करने के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए लंबित योजनाओं को यथाशीघ्र पूर्ण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों?	1 शुरू जलाशय योजना का कार्य स्थानीय जन विरोध तथा उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में होने के कारण बाधित रहा है। परन्तु वर्त्तमान में शुरू जलाशय योजना का कार्य प्रांरभ किया गया है। 2 पुनासी मिट्टी बाँध का कार्य वनभूमि अपयोजन में विलम्ब के कारण बाधित रहा है। वर्त्तमान में River Closes का कार्य करा लिया गया है एवं डैम में जल संचयन हो रहा है। डैम के आंशिक भाग में Rip-Rap (Boulder Pitching) का कार्य शेष है जिसे अगले वित्तीय वर्ष में पूर्ण करा लिया जायगा। 3. हीरू जलाशय योजना का पुनरूद्धार कार्य आंशिक रूप से हुआ है। इसके बायीं मुख्य नहर की कुल लम्बाई 762 मीटर में लाइनिग कार्य पूर्ण कर लिया गया है। दायीं मुख्य नहर की कुल लम्बाई 2804 मीटर के विरूद्ध इसका अधिकांश भाग वन क्षेत्र में पड़ने के कारण मात्र 500 मीटर में लाइनिग कार्य किया गया है। वन विभाग द्वारा आपत्ति करने के कारण नहर के बाकी भाग में कार्य बाधित हो गया। क्षेत्रीय मुख्य अभियंता द्वारा एकरारनामा को बंद करने आदेश किया गया है। 4 रामरेखा जलाशय योजना का डैम ,स्पीलवे तथा बाँयी शाखा नहर का निर्माण हो गया है दाँयी शाखा नहर के 12 कि०मी० तक का कार्य हुआ है तथा योजना से आंशिक सिंचाई दी जाती है। वर्त्तमान में कार्य बन्द है तथा विवाचन का मामला चल रहा है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारां०–27/2022 – 1411 **/राँची, दिनांक** 09/03/2022

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 801 वि०स० दिनांक 02.03.2022 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/राँची/हजारीबाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/3/22

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

120

श्री सरयू राय, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 10.03.2022 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०-29 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री सरयू राय, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार ने टाटा स्टील यूटिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लि० (टीएसयूआईएसएल) को टाटा लीज क्षेत्र, जमशेदपुर के अतिरिक्त सरायकेला जिला के आदित्यपुर में विद्युत कनेक्शन देने का लाईसेंस दिया है, फलस्वरूप वहाँ के लोग टीएसयूआईएसएल या जेबीभीएनएल में से किसी का भी विद्युत कनेक्शन ले सकते हैं;	स्वीकारात्मक टाटा स्टील यूटिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लि० (टीएसयूआईएसएल) को सरायकेला खरसाँवा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति का लाईसेंस दिया गया है। उपभोक्ता अपने लाईसेंस क्षेत्र के किसी भी Distribution Licensee से कनेक्शन ले सकता है।
2. क्या यह बात सही है कि जमशेदपुर के टाटा लीज क्षेत्र में भी विद्युत आपूर्ति करने का लाईसेंस टीएसयूआईएसएल को है, परन्तु टाटा लीज क्षेत्र की कई बस्तियों तथा 2005 में टाटा स्टील क्षेत्र से बाहर की गई बस्तियों में बिजली का कनेक्शन टीएसयूआईएसएल नहीं दे रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। जमशेदपुर लीज क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति हेतु Power Distribution License टाटा स्टील को दिया गया है। टाटा स्टील नेटवर्क की उपलब्धता के आधार पर सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं (बस्तियों के उपभोक्ताओं सहित) को विद्युत आपूर्ति कर रही है। कई बस्तियों में झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि० द्वारा भी विद्युत आपूर्ति की जा रही है क्योकि इन बस्तियों में जगह की कमी के कारण अतिरिक्त/समानांतर Network स्थापित करने की संभावना बहुत सीमित है।
3. क्या यह बात सही है कि टाटा लीज समझौता के अन्तर्गत जमशेदपुर की बस्तियों में बिजली कनेक्शन देने की जिम्मेदारी टाटा स्टील लि० की है;	जमशेदपुर क्षेत्र की बस्तियों में विद्युत कनेक्शन झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि० अथवा टाटा स्टील द्वारा Network एवं ROW (Right of Way) की उपलब्धता के आधार पर दी जाती है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार टाटा लीज क्षेत्र की एवं लीज से बाहर की गई सभी बस्तियों में विद्युत कनेक्शन देन के लिए टाटा स्टील को निर्देश देने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 465 / दिनांक 09/03/2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/3/22

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

(121)

श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय स० वि० स० द्वारा दिनांक–10.03.2022 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–30 का उत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि कल्याण विभाग के आवासीय स्कूलों के विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए टैब दिया जाना है;	स्वीकारात्मक।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार आवासीय स्कूलों के विद्यार्थियों को शीघ्र टैब उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, ता, कब तक, नहीं तो क्यों ?	आवासीय विद्यालयों के छात्र/छात्राओं को वित्तीय वर्ष 2021–22 में Mobile Tab उपलब्ध कराने से संबंधित योजना पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक–19.01.2022 को आहूत बैठक में स्वीकृति प्रदान की गयी है। तद्संबंधी संकल्प ज्ञापांक–86, दिनांक–21.01.2022 निर्गत है। योजना के क्रियान्वयन आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय से होना है, जिसके लिये समूचित निदेश दिया जा चुका है। आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय द्वारा छात्र/छात्राओं को Mobile Tab उपलब्ध कराने के निमित आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार,
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–02/वि० स०–09/2022–क– 682 राँची, दिनांक– 07/03/2022

प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०–812, दिनांक–02.03.2022 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुरेश रजक)
सरकार के अवर सचिव।